

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

495009 दुरभाष क्रमांक : (07752) 240712

www.pssou.ac.in Email- registrar @pssou.ac.in

क्रं. /मनो. वि. /2021

दिनांक /12 /2021

सूचना


पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पी. जी. डिप्लोमा इन सॉर्टिकोलॉजिकल गाईडेन्स एण्ड काउन्सलिंग सत्र 2021 (जनवरी से दिसंबर) के विद्यार्थी एवं ए.टी.के.टी. के वे विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय में ऑनलाईन फार्म भर दिया है तथा निर्धारित प्रारूप में अपने परियोजना कार्य फाइल विभाग में जमा कर दिया है को सूचित किया जाता है कि आपकी परियोजना मौखिकी परीक्षा निम्न तिथि प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ (ऑफलाईन माध्यम) से आयोजित होगी। अतः उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

संदर्भ :- छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 1722/313/अउशि/सम./2021/नया रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021 के पालनार्थ।

माध्यम - ऑफलाईन (OFFLINE MODE)

क्र.	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	पाठ्यक्रम	आयोजित संपर्क कक्षा की तिथि	परियोजना कार्य मौखिकी परीक्षा तिथि	स्थान एवं समय
1	समस्त क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों से प्रवेशित विद्यार्थी	पी.जी. डिप्लोमा इन सॉर्टिकोलॉजिकल गाईडेन्स एण्ड काउन्सलिंग	24/08/2021 से 28/08/2021 तक	16/12/2021	मनोविज्ञान विभाग सिहावा अकादमिक भवन पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (विश्वविद्यालय मुख्यालय)

- नोट :- 01. जिन विद्यार्थियों ने अपने परियोजना कार्य फाइल को विभाग में जमा कर दिया है वे ही विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
02. परियोजना कार्य मौखिकी परीक्षा की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट अथवा संपर्क कक्षा के लिए बने वाट्सअप ग्रुप से प्राप्त करें व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं होगा।


विभागाध्यक्ष


मनोविज्ञान विभाग

दिनांक 02/12/2021

क्रं. 996 /मनो. वि. /2021

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदया जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक/अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वेब सेल प्रभारी को इस सूचना के साथ इसे वि.वि. के वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सहायता प्रकोष्ठ में सूचनार्थ।
8. कार्यालय प्रति।


विभागाध्यक्ष